प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, ग्राम-नगला सुजान, थाना-निधौली कलां, जनपद-एटा का निवासी है। दिनांक-30-07-2007 को सरकारी राशन के कोटे की दुकान के विवाद को लेकर बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के भाई रामसिंह की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-260/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधि अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-5, एटा के आदेश दिनांक 26.03.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.10.2021 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 27.03.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 07 माह 11 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 03 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, एटा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-12.11.2021 को जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने तथा परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-30.07.2007 को सरकारी राशन के कोटे की दुकान के विवाद को लेकर बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के भाई रामसिंह की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमर सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी जनपद-एटा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह (बन्दी संख्या-18825) पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी जनपद-एटा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-129/2024/2434(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-3652/2024 अमर सिंह बनाम उ0प्र0 **राज्य** व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-129/2024/2434/22-2-2023-17(1243)/2022

दिनांक 17 सितम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, ग्राम-नगला सुजान, थाना-निधौली कलां, जनपद-एटा का निवासी है। दिनांक-30-07-2007 को सरकारी राशन के कोटे की दुकान के विवाद को लेकर बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के भाई रामसिंह की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-260/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधि अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-5, एटा के आदेश दिनांक 26.03.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.10.2021 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 27.03.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 07 माह 11 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 03 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, एटा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-12.11.2021 को जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने तथा परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-30.07.2007 को सरकारी राशन के कोटे की दुकान के विवाद को लेकर बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के भाई रामसिंह की तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमर सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी जनपद-एटा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।